31st December, 1974. The position has not changed since then for re-consideration of the matter.

12-सूत्री मद्य निषेध कार्यक्रम

659. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित 12-सूत्री मद्य निषेध कार्यक्रम की कौन-कौन सी बातें राज्यों द्वारा, राज्यवार कार्यान्वित की गई हैं और इस बारे में क्या क्या उपाय किये हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1973, 1974 और 1975 में वर्ष-वार कुल कितने लिटर शराब बेची गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) बिक्री के बारे में सहज ही जानकारी उपलब्ध नहीं है तो भी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में खपत निम्न-लिखित अनुसार प्रतीत होती है :—

मात्रा किलो लिटरों में

वर्ष	बीयर	आई०एम० एफ०एल०	देशी शराब
1972	50472	27875	34148
1973	57745	22271	42579
1974	58611	26800	42579

विवरण

शराब की खपत में कमी करने के लिये न्यूनतम कार्यक्रम में अनेक बात शामिल हैं जिन्हें अनेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने स्वीकार किया हुआ है। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

प्रस्तावित उपाय	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जो उपायों को कार्यान्वित करने के लिये सहमत हैं
1. शराब से सम्बन्धित विज्ञापनों एवं प्रलोभनों का बन्द कराना।	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, मनीपुर, उत्तर प्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ और दिल्ली।
2. सार्वजनिक शराब पीने पर सामान्य पाबन्दी लगाना।	आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मनीपुर, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश।

प्रस्तावित उपाय	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जो उपायों को कार्यान्वित करने के लिये सहमत हैं
3. राजपथों, कस्बों एवं गांवों मे आवासीय क्षेत्रों शैक्षिक संस्थाओं, धार्मिक स्थानों तथा श्रमिकों की बस्तियों मे शराब की दुकानों पर पाबन्दी लगाना।	आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और काश्मीर, केरल, मनीपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ, दिल्ली और गोवा, दमन और दीव।
4. वेतन दिवसों को समान रूप से शुष्क दिवस घोषित करना।	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
5. नौजवान लोगों को शराब के विक्रय की पाबन्दी।	आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मनीपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ, दादरा और नागर हवेली, हरियाणा, दिल्ली, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, और बिहार।

2. अगली रिपोर्टों की राज्य सरकारों से प्रतीक्षा की जा रही है। इन पर केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की आगामी बैठक मे विचार किया जायेगा।

सिर पर मल ढोने की परिपाटी

660. **श्री मूलचन्द डागा :**
श्री चित्त रंजन दास मुन्शी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 82 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन फ़रवरी, 1976 में प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया गया था जिसमें मांग की गई थी कि सिर पर मल ढोने की परिपाटी समाप्त करने के लिये कानून बनाया जाना चाहिए और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० के० एल० भगत): (क) और (ख). जी, हां। माननीय संसद् सदस्यों द्वारा वांछित कानून की विषयवस्तु राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में है। ऐसे कानून की व्यवहार्यता पर राज्य सरकारों को विचार करना होगा।